Uttarakhand Power Corporation Ltd
(A Govt. of Uttarakhand Undertaking)
Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun-248001
Tel: 0135-2767501
FAX : 0135-2769771

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
ऊर्जा भवन, काँवली रोड
देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2767501 फैक्स: 0135–2769771

पत्रांक : निदे0(मा0सं0) / उपाकालि / छठे वेतन अयोग दिनॉक : 30 –07–2009

कार्यालय–ज्ञाप

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप ऊर्जा निगमों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान विषयक शासनादेश संख्या 430/I/(2) 2009-05-90/TC/2008 ऊर्जा अनुभाग–1 दिनांक 19.03.09 में विहित प्राविधानों के अनुसार दिनांक 01.01.2006 से प्रवृत्त वेतनमानों में कारपोरेशन कार्मिकों के वेतन निर्धारण की प्रकिया के दौरान परिलक्षित कठिनाईयां / विसंगतियां आदि के निराकरण के लिए सुझाव देने हेतु कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप संख्या 2150 / निदे0(मा0सं0) / उपाकालि दिनांक 01.06.09 द्वारा गठित टास्क फोर्स की संस्तुति / सुझाव दिनांक 15.06.09 पर कारपोरेशन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त एतद्द्वारा निम्न निर्देश दिये जाते है:–

1. कारपोरेशन में दिनांक 01.01.06 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों का 01.01.06 से वेतन पुनरीक्षण के उपरान्त यदि शासनादेश 632/I/2009-05-90/TC/2008 ऊर्जा अनुभाग–1 दिनांक 02.03.09 की अनुसूची–'क' में दर्शित वेतन स्तर से कम आता है तो ऐसे कार्मिकों का वेतन दिनांक 01.01.06 / विकल्प की तिथि से उपरोक्त शासनादेश की अनुसूची–'क' में दर्शित वेतन संरचना के अनुरूप अनुमन्य कर दिया जाय।
2. छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वेतन निर्धारण के फलस्वरूप देय एरियर की धनराशि का भुगतान ई0पी0एफ0 से आवरित कार्मिकों को इस प्रतिबन्ध के साथ वेतन में नकद भुगतान किया जाय कि वे अपने एरियर के समतुल्य धनराशि का, कम से कम त्रिवार्षिक बॉण्ड स्वयं खरीदकर अपने नियंत्रक अधिकारी को प्रस्तुत करेगें। ऐसे कार्मिकों को अगले माह का वेतन तभी प्राप्त हो सकेगा जब वे प्राप्त एरियर की धनराशि के समतुल्य राशि का बॉण्ड अपने नियंत्रक अधिकारी को प्रस्तुत कर चुके होंगें।
3. शासनादेश संख्या 395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17.10.08 के बिन्दु 9 के अनुसार जब कोई कर्मचारी अपने वेतन बैण्ड के अधिकतम स्तर पर पहुँच जायेगा, तो उसे अधिकतम स्तर पर पहुँचने के एक वर्ष बाद अगले उच्चतर वेतन बैण्ड में रख दिया जायेगा। उच्चतर बैण्ड में स्थापन के समय पूर्व प्राप्त मूल वेतन पर एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जायेगा परन्तु पद का ग्रेड वेतन पूर्ववत रहेगा। उच्चतर वेतन बैण्ड में तब तक उन्नयन होगा जब तक वेतन बैण्ड–4 के अधिकतम तक नहीं पहुँच जाता और उसके पश्चात उसे और कोई वेतन वृद्धि नहीं दी जायेगी।
4. शासनादेश संख्या 430/I/(2) 2009-05-90/TC/2008 ऊर्जा अनुभाग–1 दिनांक 19.03.09 के प्रस्तर–8 में जिन कार्मिकों की वेतन वृद्धि की तिथि 01.01.2006 है ऐसे कार्मिकों को शासनादेश 27/XXVI(VI)/प-9/2009/वित्त अनु–7 दिनांक 13.02.09 में निहित प्राविधानों का संज्ञान लेते हुए स्पष्ट किया जाता है ऐसे प्रकरणों में वेतन निर्धारण पुराने वेतनमान में एक वेतन वृद्धि के स्थान पर नये वेतनमान में ही एक वेतन वृद्धि देकर वेतन का निर्धारण किया जायेगा और पूर्व में जो त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण किये गये है उन्हें सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा ठीक कर लिया जाय।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक :– 2880 निदे0(मा0सं0) / उपाकालि0 / छठे वेतन आयोग / तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0पा0का0लि0, देहरादून।
2. निजी सचिव निदेशक (मा0सं0 / परिचालन / परियोजना / वित्त), उ0पा0का0लि0, देहरादून।
3. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक / उपमहाप्रबन्धक एवं अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि।
4. कम्पनी सचिव एवं उपमहाप्रबन्धक (विधि) / उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0 / कार्मिक / सू0प्रौ0), उपाकालि, देहरादून।
5. उपमहाप्रबन्धक (वित्त), के0ले0का0 / वितरण / आन्तरिक सम्प्रेक्षा, उ0पा0का0लि0।
6. समस्त अधिकारी एवं अनुभाग, उ0पा0का0लि0, ऊर्जा भवन, देहरादून।
7. कार्यालय ज्ञाप पंजिका / कट फाईल।

(शरद कृष्ण)
निदेशक (मानव संसाधन)